अपील सूचना अधिकार संख्या 123/2015 अनवानी श्री सुरेश कुमार बंसल एडवोकेट निवासी वार्ड न0 4, प्रभु चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
123/2015
A3

06-02-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार बंसल एडवोकेट उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2015 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर चाही गई सूचना उनके द्वारा समय अवधि में उपलब्ध न करवाकर देरी से उपलब्ध करवाई गई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जावे एवं लोक सूचना अधिकारी से उसे क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे।

Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार बंसल एडवोकेट ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2015 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा एक मूल निवासी प्रमाण पत्र पवन यादव पुत्र रतीलाल मकान न0 88 चक 6ई छोटी नेहरा नगर श्रीगंगानगर के पते से दिनांक 04.03.2015 को आपकी सील व हस्ताक्षर कर जारी किया गया है। उक्त आवेदन पत्र व इसके साथ सलंग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे। जिसका डिस्पेच न0 कमांक प.सुगम/मु.नि./2912/2015 जारी करने की तिथि 04.03.15 उक्त मूल निवास की फोटो प्रति सलंग्न है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 451 दिनांक 10.09.2015 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जरिये पत्र सं0 450 दिनांक 08.09.2015 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगिक पत्र में आप द्वारा चाही गई श्री पवन यादव पुत्र श्री रतीलाल निवासी म0न0 88 6ई छोटी नेहरा नगर, श्रीगंगानगर के मूल निवासी प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र व इसके साथ सलंग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्र सलंगन कर भिजवाई जा रही है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी के कथनानुसार भी उसे सूचना प्राप्त हो चुकी है। इसलिए यह अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियत अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नही करवाई गई है बल्कि यह अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त सूचना उपलब्ध करवाई गई है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को हिदायत की जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का नियत अवधि 30 दिवस में ही नियमानुसार निस्तारण किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तिहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर